राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना — पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
66/2023	03.02.2023	09.03.2024

उनवान

1. इन्द्रा देवी पत्नी जगदीश जाति अहीर निवासी रैवाणा तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।

बनाम — वादीया

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)।

प्रतिवादी

दावा नाम दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश कुमार यादव अधिवक्ता – वादी ।

–::निर्णय::–

दिनांक :– 09.03.2024

आज यह पत्रावली वादीया एवं वकील वादीया द्वारा प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत मे लोक अदालत की भावना से निस्तारण किये जाने के बाबत का निवेदन कर निर्णित किये जाने का निवेदन किये जाने पर राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना मे पेश हुई। वादीया एवं वकील वादीया तथा पैरोकार सरकार लोक अदालत मे उपस्थित आये। वादीया के वाद का सारतः रहा कि आराजी ख.नं.हाल 453/0.93, 578/0.50, 580/0.02, 581/0.71, 582/0.52 हैक्टेयर वाके ग्राम रैवाणा तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड मे स्थित हो कर आराजी मुतनाजा कहलायेगी। उक्त विवादित आराजीयात मे 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार वादनी का पति जगदीश था जो आजीवन काबिज रहकर काश्त करता रहा था तथा पति के फौत होने पर वादनी ने विरासत का इंतकाल दर्ज करान के लिए अपने सभी दस्तावेज दिये जिन मे इन्द्रा देवी पत्नी जगदीश दर्ज है। वादनी के पति के फौत होने के पश्चात बिना किसी रूकावट के काबिज रहकर काश्त करती आ रही है तथा मौके पर काबिज है। राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी के लिए हल्का पटवारी के पास रिकॉर्ड देखा तो पटवारी हल्का ने वर्तमान खाता संख्या 213 मे वर्णित आ.ख.नं. 453 मे वादनी का नाम इन्दर देवी पत्नी जगदीश व वर्तमान खाता संख्या 212 मे वर्णित आ.ख.नं. 578, 580, 581, 582 मे वादनी का नाम इन्दु पत्नी जगदीश व वर्तमान खाता संख्या 214 मे वर्णित ख.नं. 575, 576, 577 मे वादनी का नाम इन्द्रा देवी पत्नी जगदीश होना बताया जिस पर मिन वादनी ने श्रीमान तहसीलदार साहब नीमराना के समक्ष उपस्थित हो कर आराजी मुतनाजा मे इन्दर व इन्दु के स्थान पर इन्द्रा देवी दर्ज कराने का निवेदन किया तो उन्होंने रिकॉर्ड व दस्तावेज देख कर समक्ष न्यायालय मे दावा दायर कर नाम दुरूस्त करवाने बाबत बताया। मिन वादनी का नाम सभी पहचान के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र ,पैनकार्ड एवं परिवार राशन कार्ड सभी मे इन्द्रा देवी अंकित है और पति की विरासत का इंतकाल दर्ज करते समय भी सभी दस्तावेज दिये थे लेकिन इंतकाल दर्ज करते समय दस्तावेजों पर गौर नही किया और कही इन्दर व इन्दु, इन्द्रा देवी अंकित कर दिया। इन्दर पत्नी जगदीश व इन्दु पत्नी जगदीश मिन वादनी के ही नाम है एंव मिन वादनी के अलावा गांव उक्त नाम कोई अन्य महिला नही है आदि–आदि अंकित करते हुए वादनी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादनी विरूद्व प्रतिवादी इस अमर की डिक्री नाम दुरूस्ती फरमाई जावे कि उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित नाम इन्दु पत्नी जगदीश एवं इन्दर पत्नी जगदीश के नाम को दुरूस्त किया जाकर उनके स्थान पर इन्द्रा देवी पत्नी जगदीश दर्ज किया जावे तथा इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे व शेष रिकॉर्ड यथावत रखा जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की बाद विधिवत तलबी पैरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। मुताबिक प्रस्तुत जवाब दावे के

बिन्दू संख्या 1 सही है,स्वीकार है एवं बिन्दू संख्या 2 लगायत 6 वादी स्वयं सिद्व करे एवं बिन्दू संख्या 7 लगायत 10 कानूनी बिन्दू होकर श्रीमान न्यायालय के श्रवण योग्य है अंकित करते हुए बिन्दू सं0 11 मे ख.नं. 578, 580, 581, 582 मे वादनी का नाम इन्दु देवी पत्नी जगदीश दर्ज है एवं ख.नं. 575, 576, 577 के राजस्व रिकॉर्ड मे सहखातेदारान के साथ वादनी का नाम सही इन्द्रा देवी पत्नी दर्ज है एवं इन्ही सहखातेदारान के साथ अन्य ख.नं. 453 मे इन्दर पत्नी जगदीश दर्ज है। सहखातेदारन की सामलाती भूमि से ज्ञात है कि इन्द्रा, इन्दर व इन्दु देवी पत्नी जगदीश एक ही महिला है एवं वादनी के आधार कार्ड, पैनकार्ड मे इन्द्रा देवी पत्नी जगदीश अंकित है अतः विवादित आराजीयात के बाबत इन्दु देवी पत्नी जगदीश व इन्दर पत्नी जगदीश का जरिये डिक्री इन्द्रा देवी पत्नी जगदीश किये जाने पर इस न्यायालय को कोई आपत्ति नही है अंकित कर पेश होकर शामिल पत्रावली है।

वादनी ने अपने वादपत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप पृथक–पृथक नकल जमाबंदी संवत 2074–77 किता तीन वाके ग्राम रैवाणा, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रैवाणा एवं आधार कार्ड, पैनकार्ड की छायाप्रतियां पेश की एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र इन्द्रा देवी पत्नी जगदीश का शामिल पेश किया जो शामिल पत्रावली है। मुताबिक प्रस्तुत ग्राम पंचायत के इन्द्रा देवी पत्नी जगदीश जाति अहीर निवासी रैवाणा है इसका नाम राजस्व रिकॉर्ड मे इन्दु पत्नी जगदीश व इन्दर पत्नी दर्ज है, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के है जबकि मुताबिक दस्तावेज सही नाम इन्द्रा पत्नी जगदीश है। इसका नाम दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है।

वकील वादीया की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने वाद पत्र के जिम्मनों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि वादीया का वास्तविक नाम इन्द्रा देवी पत्नी जगदीश है तथा विरासत इंतकाल दर्ज करते समय वादीया का अलग–अलग खातों मे इन्दर पत्नी जगदीश व इन्दू पत्नी जगदीश भी दर्ज कर दिया जो गलत है एवं उक्त गलत नामों के अंकन के रहने से वादीया के हक हकूक जायल होते है। वादीया ने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप पृथक–पृथक नकल जमाबंदी संवत 2074–77 किता तीन वाके ग्राम रैवाणा, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रैवाणा एवं आधार कार्ड, पैनकार्ड की छायाप्रतियां पेश की एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र इन्द्रा देवी पत्नी जगदीश के माध्यम से पूर्ण रूप से सावित कर दिया है एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्रानुसार भी पैरोकार ने संपूर्ण विवेचन करते हुए इन्द्रा देवी पत्नी जगदीश नाम अंकित किया जाना उचित है अभिशंषा करते हुए उक्त दुरूस्ती करने पर राज्यहित प्रभावित नही होते का अंकन कर पेश किया है का अभिकथन करते हुए वादीया का वाद पूर्ण रूप से सावित कर दिये जाने की स्थिति मे डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादीया की ध्यानपूर्वक वहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया के वाद को यह न्यायायल स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः वादीया के वाद को लोक अदालत की भावना से कैम्प राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना मे प्रस्तुत होने की स्थिति मे उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार योग्य किये जाने की स्थिति मे वादीया का वाद डिक्री किया जाता है और वादीया के आराजी हाल ख.नं. 453 वाके ग्राम रैवाणा मे वादनी का अंकित नाम इन्दर पत्नी जगदीश व ख.नं. 578, 580, 581, 582 वाके गाम रैवाणा मे वादनी का अंकित नाम इन्दु पत्नी जगदीश को हजफ किया जाकर इनके स्थान पर इन्द्रा देवी पत्नी जगदीश दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर मजमेआम कैम्प राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना मे सुनाया गया।

09-03-2024

(पंकज बड़गूजर)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना — पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद सख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
66/2023	03.02.2023	09.03.2024

उनवान

1. इन्द्रा देवी पत्नी जगदीश जाति अहीर निवासी रैवाणा तह0 नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।

वादीया

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)।

प्रतिवादी

दावा नाम दुरूस्ती इन्द्राजात

–:पर्चा डिक्री:–

वादीया की ओर से श्री मुकेश कुमार यादव एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 09.03.2024 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि:–

वादीया के वाद को लोक अदालत की भावना से कैम्प राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना मे प्रस्तुत होने की स्थिति मे उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे वादीया का वाद डिक्री किया जाता है और वादीया के आराजी हाल ख.नं. 453 वाके ग्राम रैवाणा मे वादनी का अंकित नाम इन्दर पत्नी जगदीश व ख.नं. 578, 580, 581, 582 वाके गाम रैवाणा मे वादनी का अंकित नाम इन्दु पत्नी जगदीश को हजफ किया जाकर इनके स्थान पर इन्द्रा देवी पत्नी जगदीश दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाव हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

09.03.2024

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)